

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 2 (ग)एसीपी/79-III/अलेसे-I/1411

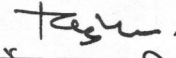
दिनांक:- 23.12.2020

संशोधन आदेश

श्री धर्मीचन्द अरोड़ा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को लेखाकार पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) दिनांक 06.10.2015 से पेबैंड-3 (15600-39100) ग्रेड पे 6000, विभागीय आदेश संख्या 201/2015-16 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा स्वीकृत की गई थी। जिसे वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008-11 दिनांक 24.07.2017 के तहत उक्त स्वीकृत तृतीय एसीपी दिनांक 06.10.2015 के स्थान पर विभागीय संशोधन आदेश संख्या एफ 2 (ग)एसीपी/79-III/अलेसे-I/242 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा दिनांक 01.04.2015 से तृतीय एसीपी स्वीकृत की जा चुकी है।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008-11 दिनांक 07.10.2020 के तहत श्री अरोड़ा को लेखाकार पद की तृतीय एसीपी दिनांक 01.04.2015 के स्थान पर लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की दिनांक 19.03.2007 से पे-बैंड 3 (15600-39100) ग्रेड पे-6000 एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

श्री अरोड़ा का वेतन निर्धारण वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन दिनांक 07.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जावेगा।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ 2 (ग)एसीपी/79-III/अलेसे-I/1411

दिनांक:- 23.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, ब्यावर (अजमेर)।
2. आयुक्त, नगर परिषद्, ब्यावर (अजमेर)
3. श्री धर्मीचन्द अरोड़ा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, 4/27, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर (अजमेर)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)